

## कृषि निदेशालय, बिहार, पटना

पत्रांक : 9/उपा0/बीज (विविध)- 45/2015/667/कृ0 पटना दिनांक 19 - अप्रैल, 2017

प्रेषक,

हिमांशु कुमार राय भा.प्र.से.

कृषि निदेशक,

बिहार, पटना।

सेवा में,

सभी जिला पदाधिकारी

सभी जिला कृषि पदाधिकारी

विषय :- हरी खाद योजना गरमा 2017 के कार्यान्वयन के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में सूचित करना है कि सरकार द्वारा हरी खाद योजना गरमा 2017 के कार्यान्वयन के स्वीकृति दी गयी है। योजना कार्यान्वयन का उद्देश्य मिट्टी की उर्वरा शक्ति को अक्षुण्ण रखना है। योजनान्तर्गत किसानों को ढ़ँचा बीज मूल्य का 90 प्रतिशत अनुदान पर उपलब्ध कराया जायेगा। छोटे किसानों को प्राथमिकता देते हुए एक किसान को अधिकतम 2.5 एकड़ क्षेत्र के लिए ढ़ँचा बीज काइंड सब्सिडी (Kind Subsidy) के रूप में उपलब्ध कराया जायेगा। बीज की उपलब्धता बिहार राज्य बीज निगम लि0 के माध्यम से जिलों में सुनिश्चित किया जायेगा।

योजनान्तर्गत ढ़ँचा बीज वितरण प्रखंड स्तर पर कैम्प लगाकर किया जायेगा, जिसका विडियो रिकॉडिंग किया जायेगा। विस्तृत कार्यान्वयन अनुदेश पत्र के साथ संलग्न कर उपलब्ध कराया जा रहा है।

उपरोक्त के आलोक में अनुरोध है कि अपने नेतृत्व एवं कुशल पर्यवेक्षण में योजना का कार्यान्वयन सुनिश्चित करने की कृपा की जाय।

अनु0- यथो

विश्वासभाजी

(हिमांशु कुमार राय)

कृषि निदेशक, बिहार, पटना

ज्ञापांक.....1667

/कृ0 पटना दिनांक 19 - अप्रैल, 2017

प्रतिलिपि :- निदेशक बामेती/सभी प्रमंडलीय संयुक्त निदेशक (शष्य)/सभी जिला नोडल पदाधिकारी/सभी अनुमंडल कृषि पदाधिकारी/सभी सहायक निदेशक, पौधा संरक्षण/उप निदेशक (शष्य) बीज विश्लेषण /संयुक्त निदेशक (शष्य) सांख्यिकी/सभी बीज परीक्षक (प्रयोगशाला के प्रभारी) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

कृषि निदेशक, बिहार, पटना

ज्ञापांक.....1667

/कृ० पटना दिनांक 19-अप्रैल, 2017

प्रतिलिपि :- प्रधान सचिव, कृषि विभाग/प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य बीज निगम/निदेशक, उद्यान को सूचनार्थ प्रेषित।

कृषि निदेशक, बिहार, पटना

ज्ञापांक.....1667

/कृ० पटना दिनांक 19-अप्रैल, 2017

प्रतिलिपि :- सभी प्रमंडलीय आयुक्तों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

कृषि निदेशक, बिहार, पटना

ज्ञापांक.....1667

/कृ० पटना दिनांक 19-अप्रैल, 2017

प्रतिलिपि :- जिला के प्रभारी प्रधान सचिव/सचिव, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित। अनुरोध है कि संबंधित जिले में भ्रमण के क्रम में योजना का पर्यवेक्षण करने की कृपा की जाय।

कृषि निदेशक, बिहार, पटना

ज्ञापांक.....1667

/कृ० पटना दिनांक -19-अप्रैल, 2017

प्रतिलिपि :- विकास आयुक्त, बिहार, पटना को सूचनार्थ समर्पित।

कृषि निदेशक, बिहार, पटना

ज्ञापांक.....1667

/कृ० पटना दिनांक -19-अप्रैल, 2017

प्रतिलिपि :- मुख्य सचिव, बिहार, पटना को सादर सूचनार्थ समर्पित।

कृषि निदेशक, बिहार, पटना

ज्ञापांक.....1667

/कृ० पटना दिनांक 19-अप्रैल, 2017

प्रतिलिपि :- माननीय मंत्री, कृषि के आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

कृषि निदेशक, बिहार, पटना

ज्ञापांक.....1667

/कृ० पटना दिनांक 19-अप्रैल, 2017

प्रतिलिपि :- माननीय मुख्यमंत्री, बिहार के सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

कृषि निदेशक, बिहार, पटना

43

कृषि विभाग  
बिहार सरकार

हरी खाद योजना कार्यान्वयन अनुदेश गरमा 2017

1. **हरी खाद योजना**— राज्य सरकार द्वारा गरमा 2017 में हरी खाद योजनान्तर्गत ढेंचा के बीज हरी खाद हेतु खेतों में आच्छादन हेतु किसानों को अनुदान पर उपलब्ध कराने की स्वीकृति दी गयी है।

**योजना का उद्देश्य —**

- 1.1 सघन खेती को बढ़ावा देकर तेज धूप एवं हवा के कारण मिट्टी के उपरी उपजाऊ परत को अपरदन (Erosion) से बचाना ।
- 1.2 मिट्टी की संरचना में कम हो रहे कार्बनिक तत्वों को बढ़ाकर मिट्टी की उर्वरा शक्ति को अक्षुण्ण रखना ।
- 1.3 दलहन के उत्पादन को बढ़ाना ।
- 1.4 खरीफ फसलों में उर्वरक पर होने वाले व्यय में कमी करना ।
- 1.5 किसानों को अतिरिक्त आय प्राप्त होना ।

जिलावार, फसलवार आच्छादन लक्ष्य एवं बीज की आवश्यकता का निर्धारण जिला कृषि पदाधिकारी से प्राप्त मांग के अनुसार अनुसूची-1 में किया गया है।

2. **योजना का विस्तार एवं अनुमान्य अनुदान** :— योजना का कार्यान्वयन राज्य के सभी प्रखंडों में किया जायेगा। योजनान्तर्गत ढेंचा सत्यापित बीज 90 प्रतिशत अनुदान पर किसानों को उपलब्ध कराया जायेगा।
3. **कार्यान्वयन एजेन्सी** : योजनान्तर्गत हरी खाद हेतु फसलों के बीज की व्यवस्था बिहार राज्य बीज निगम लि० द्वारा की जायेगी। जिलावार लक्ष्य अनुसूची- 1 के अनुरूप बीज की उपलब्धता जिलों में सुनिश्चित की जायेगी। जिला कृषि पदाधिकारी अपने जिले में योजना कार्यान्वयन के नोडल पदाधिकारी के रूप में कार्य करेंगे। इस कार्यक्रम के क्रियान्वयन हेतु समय-सीमा अनुसूची-2 के अनुसार निर्धारित की जाती है। संबंधित पदाधिकारी निर्धारित समय सीमा के अंदर कार्य का निष्पादन सुनिश्चित करेंगे।
4. **स्थल एवं किसान के चयन की प्रक्रिया** :—
  - 4.1 किसान जो इच्छुक एवं प्रगतिशील हो।
  - 4.2 किसान के पास उचित सिंचाई व्यवस्था हो।
  - 4.3 बीज ग्राम एवं जैविक ग्राम के चयनित किसानों को प्राथमिकता दी जाय।
  - 4.4 योजना के लाभार्थी किसान को संकर धान/श्री विधि धान से संबंधित योजना में शामिल किया जाय।
  - 4.5 आधुनिक कृषि यंत्र का उपयोग करने वाले किसानों को प्राथमिकता दी जाय।
  - 4.6 योजनान्तर्गत जिलावार लाभुकों में से जनसंख्या के अनुपात में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति तथा 30 प्रतिशत लघु/सीमान्त/महिला किसानों को लाभान्वित किया जाना आवश्यक होगा। राज्य स्तर पर लक्ष्य का कम से कम 16 प्रतिशत अनुसूचित जाति एवं 1 प्रतिशत जनजाति के लाभुकों को निश्चित रूप से लाभ उपलब्ध कराया जाय।

4.7 योजनान्तर्गत अल्पसंख्यक समुदाय के लाभान्वितों का समुचित आच्छादन सुनिश्चित किया जाय।

5. तकनीकी प्रशिक्षण :

5.1 जिला कृषि पदाधिकारी के द्वारा पंचायतवार/प्रखंडवार प्रशिक्षण कार्यक्रम की तिथि का निर्धारण किया जायेगा।

5.2 जिलास्तरीय कर्मशाला तथा प्रशिक्षण शिविर में कृषि विज्ञान केन्द्र के वैज्ञानिकों तथा परियोजना निदेशक, आत्मा का पूर्ण सहयोग लिया जायेगा।

5.3 हरी खाद के संबंध में बामेती द्वारा तैयार प्रचार-प्रसार सामग्री का वितरण आत्मा के माध्यम से शिविर में किसानों को किया जायेगा।

5.4 प्रशिक्षण कार्यक्रम मद में होने वाले व्यय का वहन परियोजना निदेशक, आत्मा द्वारा किया जायेगा।

6. बीज प्राप्ति, वितरण एवं अनुश्रवण की प्रक्रिया—

6.1 हरी खाद हेतु बीज की व्यवस्था बिहार राज्य बीज निगम द्वारा की जायेगी। बिहार राज्य बीज निगम के अधिकृत एवं अनुज्ञप्ति प्राप्त विक्रेता द्वारा प्रखंड स्तरीय गरमा शिविर में निर्धारित मात्रा में मानक एवं गुणवत्तापूर्ण बीज की उपलब्धता निर्धारित समय सीमा में सुनिश्चित की जायेगी।

6.2 बिहार राज्य बीज निगम द्वारा आपूर्तिकर्ता बीज प्रतिष्ठानों को जिलावार लक्ष्य के अनुरूप सम्बद्ध किया जायेगा। सम्बद्धता सूची की प्रति संबंधित जिला कृषि पदाधिकारी एवं उप निदेशक (शष्य) बीज को उपलब्ध करायी जायेगी।

6.3 जिला कृषि पदाधिकारी द्वारा जिले के लक्ष्य को प्रखंडवार उपावंटित किया जायेगा। प्रखंड में बीज प्राप्त करने वाले प्रखंड कृषि पदाधिकारी एवं विक्रेता का नाम मोबाईल नं० सहित बिहार राज्य बीज निगम/कृषि निदेशक को निर्धारित समय सीमा के अन्तर्गत संसूचित किया जायेगा।

6.4 प्रखंड स्तर पर बीज उपलब्ध होने के पश्चात ट्रक के चालान पर प्रखंड कृषि पदाधिकारी एवं सम्बद्ध विक्रेता द्वारा संयुक्त रूप से प्राप्त किया जायेगा। ट्रक के पहुंचने के पश्चात अनुमंडल कृषि पदाधिकारी द्वारा 24 घंटों के अंदर प्रति ट्रक एक नमूना नियमानुसार संग्रह कर बीज परीक्षण प्रयोगशाला को भेजा जायेगा। रेफरी नमूना जिला कृषि पदाधिकारी के स्तर पर संधारित किया जायेगा। अगर नमूना जिला कृषि पदाधिकारी के द्वारा 24 घंटों के अंदर लिया गया है तो रेफरी नमूना प्रमंडलीय संयुक्त निदेशक (शष्य) के स्तर पर संधारित किया जायेगा। बीज परीक्षण प्रयोगशाला के प्रभारी पदाधिकारी द्वारा बीज विश्लेषण प्रतिवेदन नमूना प्राप्ति के 15 दिनों के अंदर उप निदेशक (शष्य), बीज, बिहार, पटना, विपणन प्रमुख, बिहार राज्य बीज निगम एवं संबंधित जिला कृषि पदाधिकारी को ई-मेल के माध्यम से निश्चित रूप से उपलब्ध कराया जायेगा। उप निदेशक (शष्य) बीज विश्लेषण, बिहार, पटना इस दिशा में कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे। अमानक पाये जाने की स्थिति में बीज प्रतिष्ठान के विरुद्ध सक्षम प्राधिकार द्वारा विधि सम्मत कार्रवाई की जायेगी। साथ ही उप निदेशक (शष्य) बीज विश्लेषण द्वारा रेफरी नमूना CSTL, Varanasi को भी भेजा जायेगा एवं 15 दिनों के अंदर बीज विश्लेषण प्रतिवेदन प्राप्त किया जायेगा।

